to constitute a joint task force to locate and verify the status of the persons named in the list within a time bound schedule and to take strong vigorous action according to law against those found violating the law simultaneously with rehabilitation of those found eligible for such assistance under the Centrally Sponsored Scheme.

रोजगार कार्यालय का प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित किया जाना

937. श्री ईश दत्त यादव :
श्री आस मोहम्मद :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रोजगार कार्यालयों के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के संबंध में हाल ही में कोई कदम उठाये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं । इनके द्वारा रोजगार कार्यालयों के प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु इनके कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है। पंजीकरण एवं नियुक्ति के मामलों में सरलीकरण एवं एकरूपता के संबंध में, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किये जाते हैं ।

श्रम दिवसों की हानि

938. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने श्रम दिवसों की हानि हुई ;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों में बढ़ते असंतोष को कम करने के लिये प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में कोई नीति बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) चुनिन्दा उद्योग समूहों में वर्ष 1994 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों की वजह से नष्ट हुए श्रम दिवसों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ख) से (ग) प्रबन्धन में कर्मचारियों की सहभागिता के लिए एक योजना भारत सरकार द्वारा 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित की गई थी जो विशेष रूप से छूट प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू है । योजना में शाप फ्लोर और प्लान स्तरों पर कर्मचारियों की सहभागिता की व्यवस्था है । जहां तक बोर्ड स्तर पर सहभागिता का सम्बन्ध है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग श्रम मंत्रालय के परामर्श से निर्णय ले सकते हैं । सहभागी व्यवस्था में प्रचालनात्मक क्षेत्र, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, कार्मिक मामले, कल्याण, पर्यावरण तथा समुदाय विकास शामिल हैं ।

विवरण

चुनिंदा औद्योगिक समूहों में वर्ष 1994 के दौरान हड़तालों और ताला बंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या (हजारों में (अनन्तिम)

उद्योग समूह	नष्ट हुए श्रम दिवस	
	हड़ताल	तालाबन्दी
खाद्य उत्पाद	58	128
बेवरेजेज, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	11	17
सूती कपड़ा	847	1236
ऊन, सिल्क और सिन्थेटिक कपड़ा	260	115
जूट, हेम्प और मेस्ता कपड़ा	6	3891
कपड़ा उत्पाद	125	597
इन्जीनियरी	1088	1935
रसायन और रसायन उत्पाद	291	193
गैर धात्विक मिनरेल उत्पाद	123	596
अन्य विनिर्माण उद्योग	54	147
कोयला खनन	57	162
गैर कोयला खनन	28	13
बागवानी	26	110
रबर, प्लास्ट, पैट्रो और कोयला उत्पाद	209	411
बैंकिंग और सदृश वित्तीय संस्थाएं	323	0
अन्य	861	1672
अखिल भारत	4366	11223

शून्य या 500 से कम

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला